राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सीकर
कलेक्ट्रट परिसर, सीकर

कमांकः 17

दिनांक : 06-04-2022

—:: विज्ञप्ति ::—

जिला मुख्यालय सीकर पर महिला थाना सीकर में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना(संशोधन)—2017 के नियम 6 के अनुसरण में नियम 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर—शासकीय संस्थाओ से एतद् द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.04.2022 सायंकाल 4 बजे तक सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सीकर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। जिसका प्रारूप पात्रता की शर्ते तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है। अथवा कार्यालय महिला अधिकारिता सीकर से प्राप्त किये जा सकते है।

(डॉ. अनुराधा सक्सेना)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता, सीकर

क्रमांक : 18-24

दिनांक : 06-04-2022

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. श्रीमान आयुक्त महोदय महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीकर।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
5. श्रीमान् सपांदक, राजस्थान पत्रिका, सीकर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को डी.आई.पी. आर. दरों पर न्यूनतम स्पेस में शेखावाटी संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद..

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता, सीकर

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु

आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना(संशोधन)–2017 शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश 25617 दिनांक 26.08.2019 के नियम 6 एवं 7 के अन्तर्गत)

सहायक निदेश
महिला अधिकारिता,
सीकर।

विषयः– जिला मुख्यालय सीकर पर महिला थाना सीकर में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था जिला सीकर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है–

(क) संस्था का परिचय –

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	प्रमाणित प्रति संलग्न करें
संस्था का पंजीकृत कार्यालय – पूर्ण पता	
संस्था का संविधान	प्रति संलग्न करें
संस्था की कार्यकारिणी	प्रति संलग्न करें
टेलिफोन व मोबाईल नं.	
फैक्स	
ई–मेल, यदि हो	
वेबसाईट, यदि हो	

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव–

संस्था का कार्यक्षेत्र	
संस्था का मूल उद्देश्य	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग गतिविधियों का विवरण से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रो में कार्य किया उसका पूर्ण विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग गतिविधियों का विवरण से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग गतिविधियों का विवरण से शीट लगाई जा सकती है।
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं की सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तथा विस्तृत विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग गतिविधियों का विवरण से शीट लगाई जा सकती है।

(ख) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था–

<table>
<tr><td rowspan="2">संस्था में कर्मियों की कुल संख्या व विवरण</td><td>नाम</td><td>पद</td><td>शैक्षणिक योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>संस्था की गत तीन वर्ष की आय के स्त्रोत एवं व्यय का विवरण</td><td colspan="4">गत तीन वर्ष की ऑडिट रिर्पोट (सीए द्वारा प्रमाणित) प्रति संलग्न करें</td></tr>
<tr><td>संस्था की गत तीन वर्ष की वार्षिक रिर्पोट</td><td colspan="4">संस्था की गत तीन वर्ष की रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न करे।</td></tr>
<tr><td>अन्य विवरण जो देना चाहे।</td><td colspan="4">स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें</td></tr>
</table>

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाऐं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते है कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना(संशोधन)–2017 में दी गई शर्तो एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशो/आदेशो का पूर्णतया किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर (सचिव)
नाम	नाम
पता/टेलिफोन नं.	पता/टेलिफोन नं.

स्थान

दिनांक

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र हेतु पात्रताः–

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुडी होनी चाहिए।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।